M. Com. IInd Semester

Subject - Insurance (बीमा)

Paper - IV (C)

Lecture By :

Dr. Rajesh Kesari
Associate Professor
(Ex. HOD & Dean)
Commerce Faculty
Nehru Gram Bharati
(Deemed to be)
University, Prayagraj.

Topic - समुद्री बीमा - आसन्न कारण सिद्धान्त

Marine Insurance - Doctrine of Proximate Cause

आसन्न कारण सिद्धान्त
(DOCTRINE OF PROXIMATE CAUSE)

सिद्धान्त की आवश्यकता

हम जानते हैं कि बीमा की संविदा के अन्तर्गत सभी हानियों का बीमा नहीं होता वरन् उन्हीं हानियों का बीमा होता है जो बीमित आपदाओं (Insured perils) द्वारा होती हैं। अतएव जब कभी बीमित विषय को हानि या क्षति होती है तब यह ज्ञात करना पड़ता है कि उसकी पूर्ति करने का दायित्व बीमादाता पर है या नहीं। इसे ज्ञात करने के लिए यह देखना होता है कि उस हानि या क्षति का प्रत्यक्ष कारण क्या रहा है। यदि वह प्रत्यक्ष कारण कोई बीमित आपदा हो तब बीमादाता दायी होगा, किन्तु यदि वह आपदा अबीमित (uninsured) हो अथवा बीमापत्र की शर्तों के अनुसार कोई अपवर्जित आपदा (excluded peril) हो तब बीमित विषय की हानि या क्षति के प्रति बीमादाता दायी नहीं ठहराया जा सकता।

जहाँ बीमित विषय की हानि केवल एक कारण या घटना के परिणाम-स्वरूप हुई हो वहाँ तो बीमादाता का दायित्व-निर्धारण बड़ा सरल है। इसमें तो बस यह देखना होगा कि वह कारण बीमित आपदा है या नहीं। यदि वह बीमित आपदा हो तब बीमादाता क्षतिपूर्ति के लिए दायी रहेगा, किन्तु यदि वह अबीमित या अपवर्जित आपदा हो तब बीमादाता दायित्व से युक्त रहेगा। किन्तु समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और प्रायः सभी प्रकार के विविध बीमा में यह अनुभव रहा है कि बीमित विषय की हानि या क्षति अनेक कारणों और घटनाओं के प्रभाव से हुआ करती है, जिनमें बीमित और अबीमित या अपवर्जित आपदाएँ भी दृष्टिगोचर

होती है। तब झंझट उठ खड़ी होती है—बीमादार क्षतिपूर्ति का दावा करता है, बीमादाता दायित्व नकारता है; बीमादार हानि का कारण बीमित आपदा बताता है, बीमादाता उसका कारण अबीमित या अपवर्जित आपदा बताता है। ऐसे मामलों को निबटाने के लिए 'आसन्न कारण सिद्धान्त' का अनुसरण किया जाता है। यह ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त केवल समुद्री बीमा तक सीमित नहीं है, वरन् उन सभी बीमों के मामलों में प्रयुक्त होता है जहाँ हानि के अनेक कारणों में से प्रभावी कारण निर्धारित करने की आवश्यकता उपस्थित होती है।

सिद्धान्त का आशय

आसन्न कारण सिद्धान्त का संक्षिप्त कथन यह है : आसन्न कारण देखो, दूरस्थ कारण मत देखो।"[1] इसका आशय यह है कि यदि बीमित विषय की हानि होने के बहुतेरे कारण हों तब हमें उन कारणों को छोड़ देना चाहिए जो दूरस्थ या महत्वहीन हों; हमें उसी कारण को देखना चाहिए जो हानि का निकटस्थ कारण हो अथवा जो हानि का प्रधान अथवा प्रभावशाली कारण हो। बीमा-संविदा के अन्तर्गत आसन्न कारण सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए बीमादाता का दायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

बीमित विषय की हानि से सम्बन्धित समस्त तथ्यों को देखते हुए यह बात सामने आ सकती है कि (क) उस हानि का केवल एक ही कारण था, अथवा (ख) उस हानि के अनेक कारण थे। हमने ऊपर बताया है कि हानि का केवल एक ही कारण होने की दशा में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि यदि वह कारण कोई बीमित आपदा (insured peril) हो, तब बीमादाता उसकी पूर्ति के लिए बीमापत्र की शर्तों के अधीन दायी रहेगा, अन्यथा उसका दायित्व नहीं होगा। अतएव ऐसे मामलों में 'आसन्न कारण' पता चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। किन्तु जहाँ हानि के अनेक कारण हों वहाँ आसन्न कारण निर्धारित करना होता है। हानि के अनेक कारणों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है : (क) आनुक्रमिक कारण (Successive causes), अर्थात् वे कारण जो 'एक के बाद एक दूसरा' के क्रम से दीखते हैं, और (ख) समवर्ती कारण (Concurrent causes), अर्थात् वे कारण जो उसी समय एक-साथ ही उपस्थित होते हैं। इन कारणों में भी यह पाया जा सकता है कि (1) वे एक-दूसरे से स्वतन्त्र कारण हैं अथवा (2) उनमें एक प्रकार की परस्परबद्धता है। कारणों की उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हानि के आसन्न कारण की पहचान करनी होती है जो प्रायः एक जटिल क्रिया होती है। आसन्न कारण सिद्धान्त के कतिपय आधार अग्रलिखित हैं :

(1) जहाँ हानि के दो या अधिक स्वतन्त्र कारण हों, उनमें समय के अनुसार निकटस्थ कारण ही हानि का आसन्न कारण होगा, और यदि वह कारण बीमित आपदाओं में से हो तब बीमादाता इसकी पूर्ति के लिए दायी रहता है।

(2) जहाँ हानि के अनेक कारण हों जो समवर्ती (concurrent) हों और एक-दूसरे से स्वतन्त्र न हों वरन् परस्परबद्ध हों हानि का सबसे प्रभावशाली और सक्रिय कारण ही आसन्न कारण होगा, और यह जरूरी नहीं है कि वह कारण समय के अनुसार हानि के निकटस्थ हो। यदि वह प्रभावशाली कारण बीमित आपदाओं में हो, तब बीमादाता की क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी रहती है।

'आसन्न कारण' सिद्धान्त का अनुसरण करने के लिए हानि के समस्त कारणों की पूर्ण परीक्षा करनी होती है और स्थिति-विशेष पर पूर्ण रूप से विचार करना होता है। 'आसन्न कारण' की गुत्थी सुलझाना प्रायः जटिल कार्य हो जाता है। इस प्रसंग में लार्ड शा का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है :

> "कारणों के बारे में यह समझा जाता है मानों वे एक-दूसरे से इतने पृथक् हों जैसे माला की मनकाएँ या शृंखला की कड़ियाँ; किन्तु ऐसा सदैव नहीं होता। कारण-शृंखला एक सरल अभिव्यक्ति है किन्तु यह अभिव्यंजना अपर्याप्त है। कारण-प्रक्रिया शृंखला नहीं है वरन् एक जाल की भाँति होती है। इसके प्रत्येक बिन्दु पर प्रभावों, शक्तियों, घटनाओं, दृष्टान्तों और संयोगों का मिलन होता है और प्रत्येक बिन्दु से प्रकाश-किरण अनन्त रूप से विस्तरित होती रहती है। जिस बिन्दु पर इन विभिन्न प्रभावों का मिलन होता है वहाँ तथ्यात्मक आधार पर निर्णय-बुद्धि द्वारा घोषित करना होता है कि प्रभाव-बिन्दु पर संयोजित कारणों में से कौन आसन्न कारण था और कौन दूरस्थ कारण।"[1]

सिद्धान्त के प्रयोग के उदाहरण

आसन्न कारण सिद्धान्त के व्यावहारिक पहलू को समझने के लिए कुछ उदाहरणों की सहायता उपयोगी होगी। ये उदाहरण अग्रलिखित हैं :

(1) एक समुद्री बीमापत्र F. C. & S. Clause (युद्ध सम्बन्धी आपदाओं से मुक्त खण्ड) की शर्तों के आधार पर लिया गया है। हानि के तथ्य यह हैं कि यात्रा आरम्भ करने में विलम्ब हुआ, तत्पश्चात् मौसम खराब होने से जहाज को एक बन्दरगाह पर रुकना पड़ा जहाँ इसे विदेशी शत्रु ने अपने कब्जे में ले लिया—तो जहाज की इस हानि के तीन कारण हुए—यात्रा में विलम्ब, मौसम की खराबी और शत्रु द्वारा कब्जा। किन्तु इन तीनों कारणों में कोई परस्पर सम्बद्ध नहीं; विलम्ब, खराब मौसम, शत्रु का कब्जा, ये सभी स्वतन्त्र और असम्बद्ध कारण हैं, अतः जो कारण समय की दृष्टि से निकटतम है वही हानि का आसन्न-कारण माना जाना चाहिए, जो इस उदाहरण में शत्रु द्वारा कब्जा करना है। चूंकि बीमापत्र में इस हानि का बीमा नहीं किया गया अतः बीमादाता दायी नहीं होगा।

(2) फल से लदे एक जहाज की दूसरे जहाज के कप्तान की गलती से भिड़न्त (collision) होती है। यह जहाज स्वयं तो बच जाता है किन्तु दूसरा जहाज मग्न हो जाता है। हरजाना देने का मामला उठता है जिसके कारण फल वाले जहाज को पुनः यात्रा प्रारम्भ करने में काफी विलम्ब होता है। फल सड़ जाते हैं। इस हानि का आसन्न कारण क्या है—भिड़न्त का विलम्ब या माल का अन्दरूनी दोष (inherent vice)? भिड़न्त या विलम्ब दूरस्थ कारण हैं। फल सड़ गये क्योंकि अधिक समय तक न ठहर सकना उनका अन्दरूनी दोष है। अतः फलों की हानि का आसन्न कारण उनका अन्दरूनी दोष होने से बीमादाता दायी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी हानियाँ बीमापत्र में संवृत्त नहीं थीं।

(3) अग्नि बीमा का एक उदाहरण लीजिए। अग्निकाण्ड से एक मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। जन-सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका ने उस मकान को गिरा देने का आदेश दिया। उसकी दीवार गिराने की क्रिया में पड़ोसी का मकान, जिसका अग्नि बीमा कराया गया था, क्षतिग्रस्त हो गया। इस हानि का आसन्न कारण क्या था—पड़ोस की दीवार का गिरना या अग्निकाण्ड? यहाँ निर्णय हुआ कि यद्यपि वह क्षति सीधे अग्नि से नहीं हुई फिर भी अग्नि ही प्रभावशाली कारण निरन्तर बना रहा और पड़ोस की दीवार नगरपालिका द्वारा इसी अग्नि के कारण ढाई गयी अतः वह क्षति अग्नि के आसन्न कारण से हुई, जिसके लिए बीमादाता दायी ठहराया गया। लेकिन इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण यह है कि अग्निकाण्ड से क्षतिग्रस्त मकान काफी दिनों तक उसी हालत में रहा, और तूफान के कारण उसकी दीवार गिरी, जिससे पड़ोसी के मकान को क्षति पहुँची। इस क्षति के लिए बीमादाता दायी नहीं ठहराया गया क्योंकि दीवार गिरने का प्रभावशाली अतएव आसन्न कारण तूफान था न कि अग्नि—तूफान न आता तो दीवार न गिरी होती।